संख्या 1071 /प्र0 स0 वि0/ 2003

प्रेषक,

प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तरांचल देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2003

विषयः— ईंट भट्ठा समाधान योजना 2002–2003 (01–10–2002 से 30–09–2003 भट्ठा सीजन) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4541 दिनांक 26–03–2003 का सन्दर्भ लें। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासन द्वारा उत्तरांचल में ईंट भट्ठा/ ईंट निर्माता व्यापारियों को व्यापार कर की वास्तविक विक्रय दर पर कर के स्थान पर एक मुश्त धनराशि जमा करने की ईंट भट्ठा समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

विभिन्न पायों की संख्या के अनुसार यह योजना संलग्न शासन के निर्देशों के अनुसार रहेगी।

यह समाधान योजना वैकल्पिक है समाधान का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्न प्रारूप–1 में प्रार्थना पत्र अपने कर निर्धारण अधिकारी को 31–07–2003 तक प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ प्रारूप–2 में शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि जमा किये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी चालान भी संलग्न किया जायेगा।

सामान्य रूप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है जो ईंट निर्माता निर्धारित अवधि तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते है, वे अपना प्रार्थना पत्र दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज के व समाधान की किश्त जमा किये जाने के प्रमाण पत्र के साथ आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

योजना की शर्तें संलग्न शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित करते हुए समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को तुरन्त आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

सलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त

उत्तरांचल ईट भट्टा निर्माताओं द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) के अन्तर्गत विशिष्ट इंगित मदों के क्रय–विक्रय पर देय व्यापार कर के विकल्प में धारा 7–घ के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश

(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा 7–घ के उपबन्धों के अधीन उत्तरांचल में ईटों के निर्माताओं से उनके द्वारा 2002–2003 दिनांक 01–10–2002 से 30–09–2003 तक की अवधि में (जिसके आगे "सीजन वर्ष" कहा गया है) निर्मित ईटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स, ईट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा 7–घ में उन ईटों के निर्माता व्यापारियों, जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं, जो ईटों के निर्माण/बिक्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/ बिक्री का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने भट्ठे में स्व–निर्मित ईटों, ईट के रोड़ों और ईट भट्टा में निर्मित टाइल्स तथा राबिस की बिक्री तथा ऐसी ईटों के निर्माण में प्रयुक्त बालू, कोयला, लकड़ी और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त सीजन वर्ष के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/ बिक्री पर विधि के अनुसार कर देय होगा। जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) गत "सीजन वर्ष" (01–10–2001 से 30–09–2002) में जिन ईट निर्माताओं ने विधि के अनुसार देय कर के विकल्प में धारा 7–घ में समाधान राशि का विकल्प स्वीकार किए जाने हेतु शासन के निर्देशों के अधीन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, उनमें से जिनके द्वारा सभी देय किस्तें उन निर्देशों/ शर्तों के अनुसार जमा नही की है, ऐसे ईट निर्माता सीजन वर्ष 1 अक्टूबर, 2002 से 30 सितम्बर 2003 के लिए इन निर्देशों के अधीन धारा–7 घ में विकल्प देने के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वे गत "सीजन वर्ष" के लिए कुल देय समाधान राशि उस पर कुल देय ब्याज सहित जमा करने के प्रमाण–स्वरूप चालान भी अपने कर–निर्धारक अधिकारी को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं कर देते।

(4) सीजन वर्ष 2002–2003 के लिये समाधान राशि निम्नवत् होगी :–

भट्ठे की श्रेणी	समाधान राशि प्रति भट्ठा
15 पाये तक	51,000
16 पाये तक	61,000
17 पाये तक	72,000
18 पाये तक	85,000
19 पाये तक	1,00,000
20 पाये तक	1,15,000
21 पाये तक	1,31,000
22 पाये तक	1,54,000
23 पाये तक	1,77,000
24 पाये तक	2,01,000

25 पाये तक	2,27,000
26 पाये तक	2,53,000
27 पाये तक	2,81,000
28 पाये तक	3,09,000
29 पाये तक	3,39,000
30 पाये तक	3,70,000
31 पाये तक	4,01,000
32 पाये तक	4,32,000
33 पाये तक	4,63,000
34 पाये तक	4,95,000
35 पाये तक	5,26,000
36 पाये तक	5,57,000
37 पाये तक	5,88,000
38 पाये तक	6,19,000
39 पाये तक	6,50,000
40 पाये तक	6,81,000

(5) **स्पष्टीकरणः–**

(क) किसी भी भट्ठे में पायों की संख्या वह संख्या होगी, जो भट्ठे की चौड़ाई में अन्दर की दीवार से बाहर की दीवार के बीच एक लाइन या रौंस में चट्टों की संख्या है, किन्तु ऐसी किसी भी चट्टे की चौड़ाई भट्ठे की चौड़ाई के समानान्तर एक ईंट की लम्बाई से अधिक नहीं है। यदि किसी पाये की ऐसी चौड़ाई एक ईंट की लम्बाई से कम है तब भी समाधान राशि गणना हेतु इसे पूरा पाया माना जायेगा।

(ख) यदि किसी व्यापारी के एक से अधिक भट्ठे हैं अथवा कोई भट्ठा उसने लीज पर लिया है तो उसके सभी भट्ठों में से प्रत्येक भट्ठे की श्रेणी उपरोक्तानुसार निर्धारित करते हुए अलग–अलग समाधान राशि ऊपर उल्लिखित दरों पर देय होगी।

(ग) यदि किसी भट्ठे में एक ही समय में दो या अधिक स्थानों पर फुकाई करके उत्पादन किया जाता है तो समाधान धनराशि की गणना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फुकाई के स्थान को एक भट्ठा मानते हुए उसकी श्रेणी के अनुसार उपरोक्त दरों से समाधान धनराशि देय होगी।

(घ) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन धारा–18(1) के अन्तर्गत हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियो पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(6) इस योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी संलग्नक प्रारूप–1 में प्रार्थना पत्र अपने करनिर्धारक अधिकारी को 31–07–2003 तक प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ प्रारूप–2 में शपथ पत्र भी संलग्न किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि की 30 प्रतिशत राशि जमा किये जाने का प्रमाण (सम्बन्धी चालान) भी

संलग्न किया जायेगा। सामान्य रूप से प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(7) यदि कोई ईट निमार्ता ऊपर निर्धारित समय से प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत न कर सका हो तो वह ऊपर बिन्दु (6) के अनुसार अपना प्रार्थना पत्र समाधान राशि की 30 प्रतिशत राशि एवं 31–07–2003 के बाद हुई देरी के लिये 2 प्रतिशत प्रतिमाह व्याज जमा किये जाने के प्रमाण सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकता है।

(8) धारा–7 घ में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी ईट निर्माता का न होगा।

(9) इस योजना के अन्तर्गत देय समाधान राशि निम्नवत जमा की जायेगी:–

(क) समाधान राशि का 30 प्रतिशत	प्रस्तर (6) या यथास्थिति (7) के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ
(ख) समाधान राशि का 35 प्रतिशत	31, अगस्त 2003 तक
(ग) समाधान राशि का 35 प्रतिशत	30, सितम्बर, 2003 तक

(10) यदि ऊपर निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नही की जाती तब उक्त तिथि के बाद की ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक उस पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ईट निर्माता के विरूद्ध देय समाधान राशि की बकाया राशि की वसूली माल गुजारी की बकाया की वसूली की भांति भी की जाएगी और उसके विरूद्ध यथास्थिति अभियोजन / अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) यदि कोई ईट निर्माता व्यापारी उपर प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा–7घ में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार नही देते तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिर्टन प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तदनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

(12) किसी ईट निर्माता व्यापारी को यह विकल्प न होगा कि वह सीजन वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल ईट भट्ठों में से एक या कुछ भट्ठों के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष भट्ठों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत व्यापार कर जमा करें।

(13) यदि किसी नए ईट निर्माता व्यापारी द्वारा नए खुदे भट्ठें में पहली फुकाई "सीजन वर्ष" में 01.04.2003 को या उसके बाद प्रारम्भ की जाती है तो ऐसे भट्ठें में निर्मित ईट, टाईल्स तथा ऐसी ईटों के रोड़े और रावित की उक्त "सीजन वर्ष" की शेष अवधि में की गयी बिक्री तथा उसी अवधि में ईटों के निमार्ण में प्रयुक्त बालू, लकड़ी, कोयला और लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय व्यापार कर तथा कय कर के विकल्प में देय एक मुश्त राशि ऊपर प्रस्तर (4) में देय समाधान राशि का 75 प्रतिशत ही होगी। सीजन वर्ष में 31.03.2003 तक कभी भी फुकाई प्रारम्भ करने पर ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित समाधान राशि ही देय होगी। ऐसे ईट निर्माता को अपना प्रार्थना पत्र प्रारूप–1 में शपथ–पत्र / अनुबन्ध (प्रारूप–2) सहित फुकाई प्रारम्भ करने के 30 दिन के अंदर अथवा 31–07–2003 में जो भी बाद में पड़े प्रस्तुत करना होगा। ऊपर प्रस्तर (5) के स्पष्टीकरण (घ) में इंगित, ऐसी फर्म जिसका विघटन धारा–18 (1) के अर्थान्तर्गत हो गया है, अपना प्रार्थना पत्र प्रारूप–1 में तथा शपथ–पत्र / अनुबन्ध (प्रारूप–2) सहित आयुक्त कर को विघटन के 30 दिन के

अंदर प्रस्तुत करेगी। सामान्य रूप से यह अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ायी जा सकती है, लेकिन उक्त अवधि के बाद हुई देरी के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज जमा किये जाने का प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा।

(14) ऊपर प्रस्तर (13) में इंगित नए ईट निर्माता द्वारा देय एक मुश्त राशि (समाधान राशि) निम्नवत् जामा की जाएगी :–

(क) प्रथम किस्त– देय एकमुश्त राशि का एक तिहाई	प्रार्थना पत्र के साथ
(ख) दूसरी किस्त– देय एकमुश्त राशि का एक तिहाई	प्रथम किस्त जमा करने के लिये निर्धारित तिथि के अगले 30 दिन के अन्दर।
(ग) तीसरी किस्त–देय एकमुश्त राशि का एक तिहाई	द्वितीय किस्त जमा करने के लिये निर्धारित तिथि के अगले 30 दिन के अन्दर

(15) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी ईट निर्माता द्वारा अपने किसी भट्ठें के पायों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने व्यापार कर अधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे भट्ठें के सम्बन्ध में बढ़े हुए पायों की संख्या के आधार पर "सीजन वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त समाधान राशि देय होगी।

(16) यदि व्यापार कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा किसी भट्ठें में पायों की संख्या ईट निर्माता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है और ईट निर्माता उस संख्या को स्वीकार करता है तब उस भट्ठें के सम्बन्ध में सीजन वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(17) यदि ईट निर्माता अधिकारी द्वारा पाये गए पायों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर(कार्यपालक) व्यापार कर तत्काल अन्य किसी एक असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा दो व्यापार कर अधिकारीयों द्वारा जॉच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/ अधिकारियों द्वारा भट्ठें में पाये गये पायों की संख्या अंतिम मानी जायेगी और तदनुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(18) ऊपर प्रस्तर (15), (16) तथा (17) के अनुसार यदि देय समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (13) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(19) यदि सीजन वर्ष में किसी भट्ठें के केवल स्थान में ही परिवर्तन किया जाता है, किन्तु पायों की संख्या तथा ईट निमार्ता फर्म के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस सीजन वर्ष के लिए अन्यथा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(20) देर से फुकाई प्रारम्भ करने, प्रारम्भ ही न करने अथवा अन्य किसी कारण से प्रस्तर (4) अथवा प्रस्तर (13) में देय समाधान राशि में कोई कमी/ परिवर्तन न होगा।

(21) प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में व्यापार कर विभाग के अधिकारी ईट भट्ठों आदि की जॉच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जॉच ईट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जॉच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जॉच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग

करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जाएगा। साथ ही यदि व्यापार कर अधिकारी ऐसा उचित समझें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है विपरीत विन्दु पर डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर का निर्णय अंतिम होगा और व्यापार कर अधिकारी तथा ईंट निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(22) इस योजना के स्वीकार करने वाले ईंट निर्माता व्यापारी कोई धनराशि व्यापार कर के रूप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे यदि वह वसूल करते है तो ऐसी धनराशि धारा 29--क के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायगी और की गई वसूली के लिए धारा 15--क में कार्यवाही भी की जायगी।

(23) समाधान योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले ईंट निर्माता व्यापारियों को ईंट निमार्ण हेतु कोयला आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए उसके आधार पर विक्रयधन का आंकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से निर्मित ईंटों की संख्या का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर कोयला आयात करने के लिये आयात घोषणा पत्र तथा फार्म--"सी" सम्बन्धित ईंट निर्माता व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे। यह कार्यवाही आयुक्त कर द्वारा की जायेगी।

(24) यदि कोई अन्य व्यापारी ऐसे ईंट, ईंट भट्ठे में निर्मित टाइल्स या ऐसी ईंट के रोड़े राबिस क्रय करता है जिसके सम्बन्ध में इस योजना के अन्तर्गत समाधान राशि जमा की गई या की जानी है, तो वह ऐसी टाइल्स या रोड़े, राबिस की प्रदेश में की गई बिक्री के सम्बन्ध में निर्माता नहीं माना जायेगा और तदनुसार उसकी प्रदेश में की गई बिक्री पर कर देय नहीं होगा।

(25) यदि अत्यधिक भीषण दैवी आपदा जैसे अत्यधिक वर्षा के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से तबाही होती है, जिसमें योजना के अन्तर्गत समाधान कराने वाले ईंट निर्माता को भी क्षति होती है और उत्तरांचल ईंट निर्माता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आयुक्त कर द्वारा तुरन्त जॉच करायी जाएगी ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके, तब शासन द्वारा अन्य व्यापारियों को दी जा रही सुविधा के साथ ऐसे ईंट निर्माता को भी सुविधा देने पर विचार किया जाएगा।

(26) योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता पर विचार हेतु एक समिति प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित की जायेगी।

(27) उत्तरांचल ईंट निर्माता संघ, एवं ईंट निर्माता जिला समितियाँ उन भट्ठों के शपथ पत्र की तसदीक कर सकेगी, जिनके द्वारा समाधान योजना स्वीकार करने का विकल्प दिया जाए।

प्रारूप–1

भट्ठा व्यवसाय में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा–7 डी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

व्यापार कर अधिकारी,

खण्ड.....

मण्डल / उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा–8 क में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक..... .....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए व्यापार कर अधिकारी खण्ड.....मण्डल / उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार .....हूँ। मैंने ईट निर्माताओं द्वारा उपने भट्ठे में स्वनिर्मित ईटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स, ऐसे ईट के रोड़ों, राबिश आदि की 01.10.2002 से 30.09.2003 की अवधि में गयी बिक्री पर तथा उक्त ईट आदि के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये गये लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के विकल्प में धारा–7 घ में एकमुश्त राशि स्वीकार करने क सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है। उस निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्ही के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा ईटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ऐसी ईट की रोड़ो और राबिश की सीजन वर्ष 01.10.2002 से 30.09.2003 में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईटों के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये गये लकड़ी के बुरादे पर देय व्यापार कर के स्थान पर उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम,1948 (यथा उत्तरांचल में प्रभावी)की धारा–7 डी के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुसार रूपया..... .....स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का — प्रतिशत राशि रूपये .....तथा उस पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 01.10.2002 को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत् था :–

क्रम सं0 मद	संख्या / मात्रा	स्थान जहाँ स्टाक है।
1	पक्की ईटें	
2	इटों के रोडे	
3	भट्ठे में निर्मित टाइल्स	

4	राबिश
5	कोयला
6	लकड़ी
7	बालू
8	लकड़ी का बुरादा

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी / साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

प्रारूप–2 :–

समक्ष व्यापार कर अधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

पूरा पता वस्तुएं जिसका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण

1– मुख्यालय
2– शाखायें
(अ)

(ब)
(स)

3– उत्तरांचल ईट निर्माताओं द्वारा ईटों, ईट भट्ठे में निर्मित टाईल्स, ईटों के रोड़ो तथा राबिश की सीजन वर्ष 01.10.2002 से 30.09.2003 में हुई बिकी और उसी अवधि में ईटो के उत्पादन में प्रयुक्त बालू लकड़ी तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय करके स्थान पर उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा–7 डी के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तरांचल द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईट के निम्नलिखित भट्ठे सीजन वर्ष 01 अक्टूबर, 2002 से 30.09.2003 में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिवर्तन/ वृद्धि होती है, हो या किसी भटठे के पायों में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/ वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/ वृद्धि से तीन दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा।

भट्ठों की क्रम संख्या	भट्ठों का नाम एवं पूरा पता	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर फुकाई होती है।	पायों की सं0 के आधार पर प्रत्येक भट्ठे के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग.....5–

प्रस्तार–4 में अंकित भट्ठों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित धनराशि का कुल योग.....होता है जो मेरी/ हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 30 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा–7 डी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब अवशेष समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

6– हमारा/ मेरा भट्ठा नया अथवा.....से व्यापारकर अधिनियम की धारा 18 (1) के अर्थान्तगत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से फुकाई प्रारम्भ हुई है/ होगी। इस पर देय समाधान राशि रू0.....होती है, जिसका 1/ 3 मैंने .....बैकों की शाखा.....में जमा कर दिया है और चालान संलग्न है। शेष धनराशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूगा।

7– यदि सीजन वर्ष दिनांक 01.10.2002 से 30.09.2003 के लिये मेरा धारा–7घ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तरांचल शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....

(वी0 के0 चन्दोला)
अपर सचिव वित्त